ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग – एक

1. **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री विजय कुमार	1-04-2014 से 31-03-2017

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती पूनम	1-04-2014 से 31-03-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टकारला के लेखाओं अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैl

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.42
2	6	अनुदानों का उपयोग न करना	41.39
3	7	फर्नीचर का अनाधिकृत एवं अनियमित क्रय	0.36
4	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय	6.66
5	9	एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरित ऋण राशि की वसूली शेष	1.00
6	10	एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से अंशदान की वसूली न करना	0.26

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 8-11-2017 से 15-11-2017 तक ग्राम पंचायत टकारला में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है l

आय:- 3/15, 3/16 व 3/17

व्यय:- 2/15, 9/15 व 1/17

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है, उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा l

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 258 दिनांक 14-11-2017 **द्वारा** सचिव ग्राम पंचायत टकारला से अनुरोध किया गयाl जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या 314216 दिनांक 15-11-2017 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम जमा करवाया दिया गया है l

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थाl जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर भी दिया गया है l

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1474110.06	3872794	5346904.06	3297776	2049128.06
2015-16	2049128.06	3167435.3	5216563.36	3588227.4	1628335.96
2016-17	1628335.96	8261038.45	9889374.41	5350984.9	4538389.51

(i) स्वयं स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** परिशिष्ट - क पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	167221	125310	292531	17574	274957
2015-16	274957	116224	391181	31226	359955
2016-17	359955	131770	491725	91882	399843

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत टकारला के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - क में भी दिया गया है:-

वितीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1306889.06	3747484	5054373.06	3280202	1774171.06
2015-16	1774171.06	3051211.30	4825382.36	3557001.4	1268380.96
2016-17	1268380.96	8129268.45	9397649.41	5259102.90	4138546.51

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2017 बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है l

अन्त शेष का विवरण:-

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष

1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003978	3819544.04
		के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003333	144980.96
		यूको बैंक ठळल	2976	76
		सी० बी० आई० भैरा	2206240399	32601.96
2	आई डब्लयू एम पी –II	के० सी० सी० बी० अम्ब	50051226313	497032
3	आई ए वाई/ आर ए वाई	सी० बी० आई० भैरा	2206253727	33402
4	मनरेगा	सी० बी० आई० भैरा	2206270594	0
		योग		**₹4527636.96**

दिनांक 31-03-2107 को स्वंय स्त्रोत व अनुदान रोकड़ बही का अन्त शेष =4538389.51
दिनांक 31-03-2107 को बैंक खातों के अनुसार अन्त शेष = 4527636.96
अन्तर = ₹10752.55

4.1 **रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करना परिणामस्वरूप अन्तशेष में ₹0.11 लाख का अन्तर :-**

रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक के जमा अन्तशेष में **₹10752.55** का अन्तर था, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.42 लाख का गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष:-**

(क) सचिव ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2017 तक गृह कर के रूप में **₹**41550 वसूली हेतु शेष थ,। जिसका विवरण परिशिष्ट –ख पर भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	25610	26870	52480	39150	13330
2015-16	13330	27660	40990	27610	13380
2016-17	13380	28170	41550	0	41550

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर **₹41550** की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर

नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

6 **अनुदान ₹41.39 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट-क के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान **₹4138546.50** उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ाl अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

7 **फर्नीचर लागत ₹0.36 लाख का अनाधिकृत एवं अनियमित क्रय:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (आई डब्लयू एम पी) से वाऊचर संख्या 172 दिनांक 20-03-15 को मै० गौरव फर्नीचर हाऊस ऊना से निम्न विवरणानुसार फर्नीचर क्रय करने पर ₹35650 का भुगतान किया गया l

सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
कार्यालय मेज	2	7100	14200
कार्यालय कुर्सी	9	840	7560
रैक (3x6)	1	4000	4000
कार्यालय अलमीरा	1	6300	6300
दरी	2	1575	3150
मैट	3	146.60	440
		योग	**₹35650**

एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार उक्त अनुदान से फर्नीचर को क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं थाl फलस्वरूप उक्त व्यय एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय हैl अतः उक्त व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए व उक्त व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

ii) उपरोक्त उल्लेखित फर्नीचर का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाज़ार से किया गया है, जबकि उक्त फर्नीचर का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था l अतः उक्त फर्नीचर का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएl

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹6.66 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैंl व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-ग में दिया

गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹665843** की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है l अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

9 **विभिन्न लाभार्थियों समूहों को वितरित ऋण ₹1.00 लाख वसूली हेतु शेषः-**

एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के नियमों के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को **₹**25000 प्रति ग्रुप की दर से ऋण राशी जीवनयापन हेतु प्रदान की गई थी l इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 4 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशी प्रदान की गई थीl इस परियोजना के निर्दशों के अनुसार लाभार्थी ग्रुप **द्वारा** ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 18 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी थीl अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि न तो किसी लाभार्थी ग्रुप **द्वारा** ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस जमा किया गया व न ही इस संदर्भ में ऋण वापिसी हेतु सचिव ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** लाभार्थी ग्रुप के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया गया थाl इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभभोगी /लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल **₹**100000 अंकेक्षण की तिथि तक वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैl अतः परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की ₹100000 की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

क्रम संख्या	**वाऊचर संख्या**	**ऋण जारी करने की तिथि**	**लाभार्थी समूह का नाम**	**प्रदान की गई राशि**
1	20	17-08-15	राधे श्याम स्वंय सहायता समूह	25000
2	19	17-08-15	जय गणेश स्वंय सहायता समूह	25000
3	21	17-08-15	पलक स्वंय सहायता समूह	25000
4	22	17-08-15	समीक्षा स्वंय सहायता समूह	25000
			योग	**₹100000**

10 **एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से ₹0.26 लाख के अंशदान की वसूली न करना :-**

एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के नियमानुसार लाभार्थी को अपनी जमीन पर सिंचाई हेतु टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जायेगीl इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए टैंक की लागत का सामान्य वर्ग से 10% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति से 5% की दर से अंशदान लिया जाना अपेक्षित थाl अंकेक्षण में उक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया की निम्न व्यक्तियों से अंशदान प्राप्त नहीं किया गया थाl अतः परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभार्थियों से अंशदान की राशि प्राप्त न करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए व वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी / लाभार्थी व्यक्तियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएl

क्र0 सं0	**लाभार्थी का नाम**	**प्रदान की गई राशि**	**वर्ग**	**अंशदान की प्रतिशतता (%)**	**वसूली योग्य अंशदान की राशी**
1	देश राज सुपुत्र श्री अमर सिंह	40000	सामान्य	10%	4000
2	मिलखी राम सुपुत्र श्री धनी राम	40000	अन्य पिछड़ा वर्ग	5%	2000

3	बलदेव सिंह सुपुत्र श्री मंगत राम	40000	अनुसूचित जाति	5%	2000
4	कुलभूसण सुपुत्र श्री दीना नाथ	40000	सामान्य	10%	4000
5	नूर मुहमम्द सुपुत्र श्री रहमत अली	40000	अनुसूचित जनजाति	5%	2000
6	नरेंदर प्रकाश सुपुत्र श्री परमेश्वरी दास	40000	सामान्य	10%	4000
7	सलामत अली सुपुत्र श्री दिल मुहमम्द	40000	अनुसूचित जनजाति	5%	2000
8	अलख प्रकाश सुपुत्र श्री क़ुतुबदीन	40000	अनुसूचित जनजाति	5%	2000
9	गुरदास सुपुत्र श्री पैनू राम	40000	अनुसूचित जाति	5%	2000
10	गुलज़ार सुपुत्र श्री कर्म दीन	40000	अनुसूचित जनजाति	5%	2000
				योग	**₹26000**

11 मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹4.40 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 2/15, 9/15 व 1/17 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में (परिशिष्ट- घ पर दर्शाए गए विवरण अनुसार) मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी **₹439835** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि जितना मजदूरी मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है l अतः उक्त मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी **₹439835** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएंl

12 माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 2/15, 9/15 व 1/17 के दौरान एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना व मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जिस कार्य हेतु जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में माप पुस्तिकायों में भी उतनी ही राशि के व्यय की प्रविष्टियां दर्ज हैंl अतः वांछित माप पुस्तिकाएं आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएl

13 आयकर की कटौती न करने बारे :-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में संविदाकारों के बिलों से अपेक्षित कटौती नहीं की गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए l

14 **वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक संख्या अंकित न करना:-**

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रखरखाव ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना

अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत **द्वारा** व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया था l ग्राम पंचायत टकारला के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

15 **स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-**

(i) हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी l

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव l

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया थाl जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है l अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाएl

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सकेl सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थीl

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बंधित क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय -ण के उप नियम -93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना हैl अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम - 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं l कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

16 **विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-**

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था l अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है l अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)

5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर		

17 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत वांछित अभिलेख का रख-रखाव न करना:-**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत **द्वारा** निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है1

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)
(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)
(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)
(iv) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)
(v) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

ग्राम पंचायत टकारला **द्वारा** उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जो कि उक्त नियमों की अवहेलना है 1 अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए1

18 **बजट प्राक्कलन का निर्धारित फार्म में तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था1 परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम सभा के कार्यवाही पुस्तिका (**Minute Book of Gram Panchayat**) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था1 इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए1

19 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है1 परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए1

20 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से तैयार नहीं की गई है1

21 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है1

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(v)28/2017 खण्ड–1–2467–2470 दिनांक 09.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश

जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881